रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 207] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 9, 1987/आश्विन 17, 1909
No. 207] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 9, 1987/ASVINA 17, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

सचिवालय ग्रन्थालय
SECRETARIAT LIBRARY
11.12.87
GOVT OF INDIA
भारत सरकार

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं० आई० टी० सी० (पी०एन०)/85–88

नई दिल्ली, 9 अक्तूबर, 1987

विषय :—अप्रैल, 1985—मार्च 1988 के लिए आयात-निर्यात नीति

फा० सं० 6/41/87-ई०पी०सी :—वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं० 1–आई०टी०सी० (पी०एन०)/85-88 दिनांक, 12 अप्रैल, 1985 के अन्तर्गत प्रकाशित अप्रैल 1985—मार्च 1988 के लिए यथासंशोधित आयात-निर्यात नीति की ओर ध्यान दिलाया जाता है। -

2. नीति निम्नलिखित संशोधन नीचे निर्दिष्ट उपयुक्त स्थानों पर किए जाएंगे :—

क्रम सं०	आयात-निर्यात नीति 1985-88 (खण्ड-1) की पृष्ठ संख्या	संदर्भ	संशोधन
1	2	3	4
1.	315 (337)	परिशिष्ट-19 का अनुबन्ध-5 क्रम० सं०- 92	वर्तमान क्र०सं० 92 के पश्चात् निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :—

1	2	3	4	5	6
"93	(क) 40 काउन्टस और कम के धुने हुए रेशे	कच्ची रुई	1.00	1.15	1.10
	(ख) 40 काउन्टस और कम के छाने हुए रेशे	—वही—	1.00	1.33	1.15
	(ग) 40 से अधिक काउन्टस के छाने हुए रेशे	—वही—	1.00	1.39	1.15"

3. उपर्युक्त संशोधन लोकहित में किए गए हैं।

4. कालम-2 के कोष्ठक में संख्या संशोधित आयात-निर्यात पुस्तक, 1985—88 की पृष्ठ संख्या है।

ह० /-

(राजीव लोचन मिश्र), मुख्य नियंत्रक,
आयात-निर्यात

मंजुला सुब्राहमणियम, संयुक्त मुख्य नियंत्रक
आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

Import Trade Control

Public Notice No. 218-ITC(PN)/85—88

New Delhi, the 9th Oct., 1987

Subject :—Import & Export Policy for April 1985—March 1988

F.No. 6/41/87-EPC.—Attention is invited to the Import & Export Policy for April 1985—March 1988 published under the Ministry of Commerce Public Notice No.1-ITC(PN)/85—88 dated the 12th April, 1985 as amended.

2. The following amendments shall be made in the Policy at appropriate places as indicated below:—

Sl. No.	Page No. of Import and Export Policy (1985-88) (Volume I)	Reference	Amendments
1	2	3	4
1	315 (337)	Annexure V to Appendix 19 S.No. 92	After the existing S.No. 92 the following shall be added:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"93.	(a) Carded yarn of counts 40s and below	Raw cotton	1.00	1.15	1.10
	(b) Combed yarn of counts 40s and below	-do-	1.00	1.33	1.15
	(c) Combed yarn of counts above 40s	-do-	1.00	1.39	1.15"

3. The above amendments have been made in public interest.

4. The number in bracket in Column 2 indicate the page number in the amended Import-Export Book 1985—88.

Sd/-

(R.L. MISRA)
Chief Controller of Imports & Exports

MANJULA SUBRAMANIAM, Joint Chief Controller of Imports & Exports

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987